प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
विविध अपील संख्या 1012/2004

1. **अपीलार्थी (गण):**
   उत्तरवादी (गण):

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़.
2. रामप्रसाद, पिता मुनुराम नायक, चालक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छापी
3. छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर, रायगढ़ के माध्यम से

विरुध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी (गण)
आवेदक (गण)

1. श्रीमती श्याम बाई, पति स्वर्गीय देवीलाल, शासकीय कर्मचारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रायगढ़(छत्तीसगढ़)
2. उत्तरा कुमारी, पिता स्वर्गीय देवीलाल पटेल
3. मितलेश, पिता स्वर्गीय देवीलाल पटेल (अवयस्क)
4. भूपेन्द्र, पिता स्वर्गीय देवीलाल (अवयस्क)
5. सरस्वती, पिता स्वर्गीय देवीलाल (अवयस्क)

क्रमांक 3, 4 **एवं** 5 : **द्वारा** संरक्षक माता श्रीमती श्याम बाई
निवासी: ग्राम — छापी,
तहसील: खरसिया,
जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़।

अपील – सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 43, नियम 1(घ) के अंतर्गत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील संख्या: 1012/2004

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य

विरुद्ध

श्रीमती श्याम बाई एवं अन्य

उपस्थिति:

श्री अखिल अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता अपीलकर्ताओं/राज्य की ओर से।

श्रीमती बी.आर. माईती, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 21 जून 2006)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा:

1. यह आदेश, आदेश 43 नियम 1(ड) दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर इस प्रकीर्ण अपील में विलंब की क्षमा हेतु आवेदन क्रमांक एम.(सी.)पी. 1421/2004 का निराकरण कर रहा है। उपर्युक्त अपील उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो दिनांक 07.02.2004 को चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ द्वारा, प्रकीर्ण दावा प्रकरण क्रमांक 1/2003 में पारित किया गया था।उक्त आदेश द्वारा, दावा अधिकरण ने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.11.2002 को अपास्त करने हेतु व्य.प्र.स. के आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को ख़ारिज कर दिया था। यह अपील 136 दिन की देरी से दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दावा प्रकरण क्रमांक 73/2002, दिनांक 09.10.2002 को साक्ष्य के लिए दावा अधिकरण के समक्ष नियत था। उक्त तिथि को अपीलार्थी, जो कि दावा अधिकरण के समक्ष उस समय अनावेदक थे, अनुपस्थित रहे और

अधिकरण ने उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी। अंततः, लगभग डेढ़ महीने के भीतर सुनवाई को शीघ्र गति से संपन्न करते हुए, दिनांक 29.11.2002 को एकपक्षीय रूप से ₹4,12,000/– की राशि का प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) पारित किया गया। इस एकपक्षीय निर्णय को अपीलकर्ताओं ने अधिकरण के समक्ष व्य.प्र.स. के आदेश 9, नियम 13 के अंतर्गत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर चुनौती दी, किंतु उक्त आवेदन अधिकरण द्वारा दिनांक 07.02.2004 को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने यह प्रकीर्ण अपील प्रस्तुत की है, जो कि 136 दिवस की देरी से दायर की गई है। इस देरी की क्षमा हेतु अपीलकर्ताओं ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एम.(सी.)पी. क्रमांक 1421/2004 नामक आवेदन प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपील दायर करने में हुई देरी न तो जानबूझकर की गई है और न ही दुर्भावनापूर्ण थी, बल्कि विधि विभाग से अपील दायर करने की स्वीकृति प्राप्त करने में जो समय लगा, उस कारण हुई। यह स्वीकृति दिनांक 20.05.2004 को प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रकरण हेतु प्रभार अधिकारी की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रालयिक कार्यों में विलंब के कारण यह अपील समय पर दायर नहीं की जा सकी। अतः वे 136 दिनों की देरी की क्षमा याचना करते हैं।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा विविध अपील के अभिलेखों का अवलोकन भी किया है।

6. जहाँ तक परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रश्न है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***रामलाल एवं अन्य बनाम रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड*** [(AIR 1962 SC

361)] के मामले में यह स्थापित किया है कि धारा 5 की व्याख्या करते समय दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली यह कि जब परिसीमा की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है, तब डिक्री धारी को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह डिक्री को पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी माने। दूसरे शब्दों में, जब परिसीमा अवधि समाप्त हो चुकी होती है, तो डिक्रीधारी को यह लाभ प्राप्त होता है कि डिक्री को अब चुनौती नहीं दी जा सकती, और यह विधिक अधिकार केवल समय के व्यतीत हो जाने से उत्पन्न हुआ है, अतः इसे हल्के में नहीं छीना जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय को देरी क्षमा करने का विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है। यह विवेकाधिकार जानबूझकर न्यायालय को दिया गया है ताकि उसे पर्याप्त न्याय प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *मद्रास उच्च न्यायालय के* **कृष्णा बनाम छठापन** [ILR 13 Madras 269] में दिए गए एक निर्णय को उद्धृत करते हुए की गई, जिसमें कहा गया:

> "धारा 5 न्यायालय को एक विवेकाधीन अधिकार प्रदान करती है, जिसका प्रयोग वैधानिक न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए; 'पर्याप्त कारण' शब्दों की उदार व्याख्या की जानी चाहिए ताकि सारभूत न्याय को बढ़ावा दिया जा सके, जब तक कि अपीलकर्ता पर लापरवाही, निष्क्रियता या दुर्भावना आरोपित न हो।"

7. *सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः* ***पश्चिम बंगाल राज्य बनाम प्रशासक, हावड़ा नगरपालिकाएवं अन्य[***(1972) 1 SCC 3] के मामले में यह कहा कि परिसीमा

अधिनियम की धारा 5 में प्रयुक्त "पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि सारभूत न्याय को बढ़ावा मिल सके, जब तक कि किसी पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या दुर्भावना आरोपित न हो (कृपया उक्त निर्णय का अनुच्छेद 30 देखें)।

8. ***एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति*** [(1998) 7 SCC 123] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि: **"परिसीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह उस सिद्धांत में निहित है: *'Interest reipublicae ut sit finis litium'*** (सामान्य कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वाद–विवाद की एक समय सीमा निर्धारित की जाए)। परिसीमा के नियम पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि पक्षकार जान–बूझकर विलंबकारी तरीकों का सहारा न लें और समय पर न्याय की याचना करें। विचार यह है कि प्रत्येक विधिक उपाय एक निर्धारित विधायी अवधि तक जीवित रहना चाहिए।" सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि: "विलंब की अवधि का लंबा या छोटा होना महत्वहीन है, केवल स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही मापदंड है। कभी–कभी अल्पतम विलंब भी अस्वीकार्य हो सकता है यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न हो, वहीं कुछ अन्य मामलों में अत्यधिक लंबा विलंब भी क्षम्य हो सकता है यदि उसका स्पष्टीकरण यथोचित और संतोषजनक हो।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. वर्तमान प्रकरण में, कुल 136 दिनों की देरी हुई है और इसके लिए जो कारण प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि अपील दायर करने हेतु विधि विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात प्रकरण हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रालयिक कार्यों में समय व्यतीत हो गया। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं

दर्शा सके जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस प्रकार की अपील दायर करने के लिए विधायी रूप से स्वीकृति आवश्यक है।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वीकृति आदि केवल सरकार की आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने में राज्य के अधिकारियों ने आवश्यक से अधिक समय व्यतीत कर दिया। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के लिए "पर्याप्त कारण" की कसौटी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मामलों में अलग नहीं है। जब सरकार को अपील या अन्य कार्यवाही, जिसके लिए परिसीमा की समयावधि निर्धारित हो, दायर करनी होती है, तब यह सरकार और उसके अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि वे समय रहते सभी आवश्यक कार्यवाही सावधानीपूर्वक करें ताकि वह निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यवाही कर सकें। यदि ऐसे मामलों में तत्परता दिखाई जाए और फिर भी कुछ अपरिहार्य कारणों से विलंब हो जाए, तभी उसे “पर्याप्त कारण” माना जा सकता है और धारा 5 के अंतर्गत समय–विस्तार संभव हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस प्रकरण में 136 दिनों के विलंब के लिए कोई समुचित और उचित कारण नहीं बताया गया है, प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। राज्य द्वारा जो स्पष्टीकरण दो पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है वह अत्यंत अस्पष्ट और सामान्य है, जो स्वीकार्य नहीं है।

12. अतः, मैं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में कोई तथ्यात्मक या विधिक औचित्य नहीं पाता हूँ और यह आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील भी निरस्त की जाती है।

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur